

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) कैंप: शुवाडा

-: आदेश :- 217/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शुवाडा व भू.अ.नि. शुवाडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शुवाडा / नायब तहसीलदार शुवाडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शुवाडा तहसील शुवाडा व जिला शुवाडा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2017-18 में खाता संख्या 146 में वर्तमान में वर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>शुवाडा</u>	<u>146</u>	<u>शुवाडा गाँव, शुवाडा तहसील, शुवाडा जिला</u>	<u>शुवाडा गाँव, शुवाडा तहसील, शुवाडा जिला</u>
2.	<u>शुवाडा</u>	<u>21</u>	<u>शुवाडा गाँव, शुवाडा तहसील, शुवाडा जिला</u>	<u>शुवाडा गाँव, शुवाडा तहसील, शुवाडा जिला</u>

(शुवाडा)  
 पीठासीन अधिकारी  
 (भागेश्वर राम)  
 लोक अदालत / कैंप-2018  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोतली कैंप-2018

क्रमांक :- 712-713

दिनांक :- 14/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शुवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री शुवाडा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(शुवाडा)  
 पीठासीन अधिकारी  
 (मलिक अदसल)  
 लोक अदालत / कैंप-2018  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोतली कैंप-2018